मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०१९

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, २०१९

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, २०१९ है.

धारा ४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ (क्रमांक २१ सन् १९९४) की धारा ४ में, उपधारा (२) में, खण्ड (एक) में,—

(एक) उपखण्ड (क) में, शब्द और और अंक "अन्य पिछड़े वर्ग १४ प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द और अंक "अन्य पिछड़े वर्ग २७ प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

(दो) उपखण्ड (ख) में, शब्द और और अंक "अन्य पिछड़े वर्ग १४ प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द और अंक "अन्य पिछड़े वर्ग २७ प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश, २०१९ (क्रमांक २ सन् २०१९) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अन्य पिछड़े वर्ग मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या का २७ प्रतिशत हैं. यह वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है. राज्य सरकार ने इस वर्ग के उत्थापन के लिए कुछ योजनाएं तैयार की हैं, फिर भी उक्त वर्ग का सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थापन नहीं हो सका.

२. अतएव, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ (क्रमांक २१ सन् १९९४) की धारा ४ में यथोचित संशोधन द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों के आरक्षण का उपबंध १४ प्रतिशत से २७ प्रतिशत बढ़ाए जाने का विनिश्चय किया गया है.

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश, २०१९ (क्रमांक २ सन् २०१९) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ०८ जुलाई, २०१९.

डॉ. गोविन्द सिंह
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या २७ प्रतिशत है. जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है. इस वर्ग के उत्थान के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ (क्रमांक २१ सन् १९९४) की धारा-४ में यथोचित संशोधन द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों के आरक्षण का उपबंध १४ प्रतिशत से २७ प्रतिशत बढ़ाए जाने का विनिश्चय किया गया है.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश, २०१९ (क्रमांक २ सन् २०१९) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ (क्रमांक २१ सन् १९९४) से उद्धरण.

* * * * *

धारा ४ (१) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन जब तक कि अन्यथा उपबंधित न किया जाए, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित पद ऐसे सदस्यों से नहीं भरे जाएंगे जो यथा स्थिति, ऐसी जातियों या जनजातियों या वर्गों के नहीं हैं.

(२) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए सीधी भरती के प्रक्रम पर निम्नानुसार आरक्षण रखा जाएगा:—

(एक) प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के पदों में राज्य स्तर पर किसी भरती के वर्ष में उद्‌भूत होने वाली रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रतिशत:—

अनुसूचित जाति	१६ प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	२० प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	१४ प्रतिशत

(दो) संभाग या जिला स्तर पर किसी भरती के वर्ष में किसी स्थापन में तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग पदों के ऐसे प्रवर्गों में, उद्‌भूत होने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ऐसा होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए.

(तीन) ऊपर (एक) और (दो) में यथापूर्वोक्त रिक्तियों पर नियुक्तियां ऐसे रोस्टर के अनुसार की जाएंगी, जैसा कि विहित किया जाए:

परन्तु पूर्वोक्त आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्गों को लागू नहीं होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संपन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के रूप में अधिसूचित किया जाए.

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.